e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

****

ifyl e[;ky;] xg ¼ifyl½ foHkkx] e/;izns'k 'kklu d vrxr i/kku vkj{kd ¼jfM;k½ rduhf'k;u dh Hkrh gr p;u ijh{kk & 2014

ijh{kk lpkyu ,o Hkrh fu;e

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		08.09.2014
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		07.10.2014
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि		08.10.2014
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि		17.10.2014
परीक्षा दिनांक व दिन		16.11.2014 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :–	रु. 700/–
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए :– ¼doy e/;izns'k d ey fuoklh gr½	रु. 350/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– देय होगा।		

le; lkj.kh

प्रश्न पत्र	परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
प्रथम प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान)	16.11.2014 (रविवार)	प्रातः 08:00 बजे से	प्रातः 08:00 से 08:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 08:00 से 08:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 08:10 बजे	प्रातः 08:10 से 08:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 08:15 से 10:15 बजे तक (2:00 घंटे)
द्वितीय प्रश्न पत्र (तकनीकी)	16.11.2014 (रविवार)	दोपहर 12:00 बजे से	दोपहर 12:00 से 12:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:00 से 12:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:10 बजे	दोपहर 12:10 से 12:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 12:15 से 02:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
6. मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी।

e/;in'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkkiky

ifyl e[;ky;] xg ¼ifyl½ foHkkx] e/;in'k 'kklu
d vrxr i/kku vkj{kd ¼jfM;k½ rduhf'k;u dh Hkrh gr
p;u ijh{kk&2014

fo"k;&lph

l- Ø-	fooj.k	i"B Ø-
1	v/;k;&1 & पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2013–2014 के लिए विभागीय नियम	03–14
2	v/;k;&2 & मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	15–22
3	v/;k;&3 & विस्तृत पाठ्यक्रम	23–24
4	v/;k;&4 & आवश्यक प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	25–30

v/;k; & 1

ifyl e[;ky;] xg ¼ifyl½ foHkkx] e/;ins'k 'kklu d vrxr i/kku vkj{kd ¼jfM;k½ rduhf'k;u dh Hkrh grq p;u ijh{kk&2014 d fy, foHkkxh; fu;e

1-1 lkekU; %&

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं.– पुमु/चयन/स–3/94/14 दिनांक 03.02.2014 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। inks dh l[;k e vko';drkulkj deh ;k of) dh tk ldrh gA

1-2 ifjHkk"kk;s %&

¼ d ½ ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

¼ [k ½ ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

¼ x ½ ''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

¼ ?k ½ ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

¼ p ½ ''मंडल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।

¼ N ½ ''विभाग'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

¼ t ½ ''समिति'' से अभिप्रेत है – पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई चयन समिति।

¼ > ½ ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा ।

¼ V ½ ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है – पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा ।

1-3 fjDr inksa dh rkfydk %&

i/kku vkj{kd ¼jsfM;ks½ rduhf'k;u ds dqy fjDr in

rkfydk &1

l-Ø-	inuke	Js.kh	fuy		HkwriwoZ lSfud	;ksx
			vkiu	efgyk	vkiu	
1	प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन	अनारक्षित	89	11	11	111
2		अनुसूचित जनजाति	53	6	6	65
3		अनुसूचित जाति	30	5	5	40
4		अन्य पिछड़ा वर्ग	36	3	3	32
dqy ;ksx			198	25	25	248

uksV&¼1½ म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 2(अ) 682/96/ब–4/2 दिनांक 16–5–97 व्दारा महिलाओं के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' निर्धारित किया गया है ।

¼2½ म0प्र0 शासन सा0प्र0विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रेल 1999 के व्दारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

ये दोनो ही हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेण्ट वाइज आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 10 प्रतिशत महिलायें, या 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। महिलाओं तथा भूत पूर्व सैनिको के लिये आरक्षण ^^gkjhtkWUVy ,oa dEikVZesUV okbZt^^ स्वरुप का है । इन दो आरक्षणो में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (**1992 SUPP (3) SCC-217**) में स्पष्ट किया गया है । हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ ''**1995 (2) SUPP , SCR - 396 - 1995(5) SCC- 173**) का अनुसरण किया जाता है ।

¼4½ शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।

1.4 ukxfjdrk ,oa LFkkbZ fuoklh ds lEcU/k esa %&

1.4.1 पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

1.4.2 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.4.3. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 अगस्त 2014 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए।

1.4.4 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।

1-5 in dk osrueku ¼&

स.क्रं.	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1.	प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन	रूपये 5200 – 20200	रूपये 2100/–

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन पद का वेतनमान रूपये 5200 – 20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये 2100/– होगा। समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियॉ देय होगी । म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम–4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ–9/डी/2003 नियम–4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

1-6 ijh{kk dsUnz ¼& परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय–2 में देखें।

1-7 fuèkkZfjr vk;q lhek ¼&

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2014 को 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

1-8 mPprj vk;q lhek esa NwV ¼&

निम्न संवर्गो के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है

1-8-1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2014 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1-8-2 वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक हैं, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले शासकीय सेवक हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी।

1-8-3 मध्य प्रदेश शासन के स्थायी शासकीय सेवक, या मध्य प्रदेश शासन में अस्थायी पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकत आयु सीमा 36 वर्ष रहेगी । मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

1-8-4 यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि LFkkuh; fudk;ks जैसे जिला पचांयत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्राप्त ugha है।

1-8-5 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के प्रकरण में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होगी। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1-8-6 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 31 वर्ष से अधिक न

हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी’ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा कन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1-8-7 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात 31 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है । दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होंगे ।

ukV& 1- भतपूर्व सैनिक सवंर्ग में भू–सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।

2. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बीपी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1-8-8 मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा समान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

l-Ø-	vkosnd ,oa Js.kh	vf/kdre vk;q lhek
1	(पुरूष / महिला) अनारक्षित वर्ग	28 वर्ष
2	(पुरूष / महिला) अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग	28+5 =33 वर्ष
3	(पुरूष / महिला)अनारक्षित / अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (म0प्र0 के निगम / मण्डल / शासकीय सेवक हेतु)	28+5+3 =36 वर्ष
4	स्वयं सेवी नगर सैनिकों के लिये (सभी वर्ग के लिये)	28+5+3 =36 वर्ष
5	भूतपूर्व सैनिक– अनारिक्षत वर्ग	28+3 =31 वर्ष
6	भूतपूर्व सैनिक– (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	28+5+3 =36 वर्ष
7	महिला–अनारक्षित वर्ग (विधवा / परित्यक्तता / तलाकशुदा)	28+5=33 वर्ष
8	महिला–अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (विधवा / परित्यक्तता / तलाकशुदा)	28+5+5 =38 वर्ष

1-9 e/; insz'k ds LFkk;h fuokfl;ksa dks lkekU; iz'kklu foHkkx Lo#i vk;q lhek esa feyus okyh NwV &

1-9-1 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1-9-2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

1-9-3 ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1-9-4 बिन्दु 1-9-1 से 1-9-3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1-9-1 से 1-9-3 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, बिन्दु 1-8-1 से 1-8-8 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी ।

1-10 fookg lcekh@cPp lcekh %&

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

1-11 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय–3 में दर्शाए गए हैं।

1-12 U;wure 'kkjhfjd vgZrk %&

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अहर्तायें अवश्य होनी चाहिए :–

1-12-1 mpkbZ : पुरूष –168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये, उँचाई :

पुरूष – 160 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिये,

महिला – 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिये,

1-12-2 lhuk : पुरूष – सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये,

सीना : पुरूष – सीना बिना फुलाये 76 सेंटीमीटर/फुलाने पर 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिये,

महिलाओं के लिये सीने की कोई माप नहीं होगी,

अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं । इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

1-12-3 vH;FkhZ dk 'kkjhfjd #i ls vi.kZ ugha gksuk pkfg;sA

1-12-4 अभ्यर्थी में नॉक–नी अथवा फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये । अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

ukV& (1) यहां यह स्पष्ट किया जाता हैं कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वंय सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें ।

(2) चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जावेगी ।

(3) चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा । जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण

अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

(4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।

(5) प्रक्रिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

1-13 U;ure 'k{kf.kd vgrk, %&

l- Ø-	inuke	vukjf{kr] vuqlwfpr tkfr] vuqlwfpr tutkfr rFkk vU; fiNMk oxZ gsrq 'kS{kf.kd vgZrk,a
1	प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन	(अ) प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 बोर्ड परीक्षा म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । rFkk (ब) इलेक्ट्रीशियन/ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक/ इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिक/ रेडियो व टेलीविजन मैकेनिक /आई0टी0 ट्रेड में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित आई.टी.आई. का दो वर्षीय पाठ्य क्रम में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त समकक्ष प्रमाण–पत्र होना चाहिये। vFkok (स) समन्वय संचालनालय पुलिस वायरलैस (डी.सी.पी.डब्ल्यू) नई दिल्ली द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम ग्रेड–2 उत्तीर्ण हो एवं दो वर्ष का कार्यानुभव।

अर्थात उम्मीदवार के पास उपरोक्त दर्शाई गई अर्हताओं में से निम्न लिखित अर्हता होना अनिवार्य है : {(अ) तथा (ब) }, vFkok] {(अ) तथा (स) }.

1-13-1 'kS{kf.kd ;kX;rk eSa NwV %&

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1-13-2 निर्धारित समस्त अहर्ताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार को अवश्य होनी चाहिये, अर्थात 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 बोर्ड परीक्षा म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन/ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक/ इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिक/ मैकेनिक रेडियो व टेलीविजन/आई0टी0 ट्रेड में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित आई.टी.आई. का दो वर्षीय पाठ्य क्रम में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त समकक्ष प्रमाण–पत्र vFkok समन्वय संचालनालय पुलिस वायरलैस (डी.सी.पी.डब्ल्यू) नई दिल्ली द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम ग्रेड–2 उत्तीर्ण हो एवं दो वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1-14 आवेदन करने हेतु पात्रता का निर्धारण मध्य प्रदेश पुलिस में विभाग की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन हेतु किया गया हैं। उम्मीदवारों की बढ़ती हुई विशाल संख्या के कारण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगने वाले समय को देखते हुये दूरसंचार शाखा में प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन की चयन प्रकिया को पारदर्शी रखते हुये सुगम बनाने के उददेश्य से दो भागों में (प्रथम प्रश्न पत्र– सामान्य ज्ञान एवं द्वितीय प्रश्न पत्र– तकनीकी ज्ञान) लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी।

1-15 ijh{kk dh ;ktuk %&

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** पर उपलब्ध होंगे।

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन की चयन परीक्षा को निम्न लिखित दो चरणो में संपन्न कराया जावेगा :–

1. प्रथम चरण : लिखित परीक्षा –
   1. प्रथम प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान)
   2. द्वितीय (तकनीकी) प्रश्न पत्र (दो भाग में)

   प्रथम भाग सभी उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य होगा तथा द्वितीय भाग में ट्रेड अनुसार प्रश्न दिये जावेंगे।

   प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस अध्याय–3 में उल्लेखित है।
2. द्वितीय चरण : शारीरिक प्रवीणता परीक्षा – प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिये,

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन–लाईन (M.P On-line) के माध्यम से भरे जाते है । किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है । यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता हे तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा । लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है । लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर उम्मीदवारो को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी जिसमें एक ईवेन्ट – 800 मीटर दौड़ का होगा ।

;fn mEehnokj ey iek.k i=ks dk ijh{k.k es v;kX; ik;k tkrk gS vFkok vlQy gkrk gS rks mlS vxys pj.k es Hkkx ysus dh ik=rk ugh gkxh] rFkk mlds vH;fFkZrk lekIr djrs gq, mlds fo:} oS/kkfud dk;Zokgh dh tk,xh Hkys gh og fyf[kr ijh{kk es lQy jgk gks A ;fn mEehnokj mijksDr ey iek.k i=ks dk ijh{k.k es ;kX; ik;k tkrk gS rFkk 'kkjhfjd iohkrk ijh{kk es DokyhQkbl dj lQy gkrk gS] rHkh mls mlds in dh efjV es vkus dh ik=rk gksxh A

1-15-1 iFke pj.k & fyf[kr ijh{kk %&

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे :–

क्रमांक	पद	अनिवार्यता	प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतक अंक
1	प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन	सभी उम्मीदवारों के लिये	प्रथम प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान)	02 घंटे	100
			द्वितीय प्रश्न पत्र (तकनीकी)	02 घंटे	100

ukV%& ¼d½& लिखित परीक्षा हाल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिनके पास मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– आधार

कार्ड / वोटर पहचान पत्र / डाइविंग लाइसेस / आयकर विभाग का पेनकार्ड / पासपोर्ट / बैंक पासबुक / शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

¼[k½ आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

¼x½ परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

¼?k½ लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये आरक्षक चयन की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1-15-2 vxyh pj.k dh ijh{kk gsrq fyf[kr ijh{kk dh esfjV lwph ¼&

1. प्रत्येक उम्मीवार को दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल होना अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न–पत्र में उत्तीर्ण होने के लिये कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं हैं।
2. द्वितीय प्रश्न पत्र में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के अंकों को प्रथम प्रश्न–पत्र के प्राप्तांक से जोड़कर मेरिट सूची बनाई जायेगी। मेरिट सूची से श्रेणीवार रिक्त पदो के 5 गुना संख्या के उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा।
3. प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा कुल पूर्णाक 200 (लिखित परीक्षा– 200) के आधार पर उनकी प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी । रिक्त पदों में से अनारक्षित पदों के 5 गुनी संख्या हेतु सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है । शेष उम्मीदवार में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के 5 गुने के लिये पृथक–पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी।
4. यह सूचियां बनाने के बाद महिलाओं एवं भ0 पू0 सैनिकों के लिये "कम्पार्टमेण्टवाइज हॉरीजेटंल आरक्षण'' को प्रभावी किया जावेगा । हॉरीजेटंल ओवरआल अथवा कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ ''1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173) का अनुसरण किया जाता है।
5. भू0पू0 सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत हॉरीजेन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाइज आरक्षण है, अतः इनकी मैरिट सूची जाति वर्गबार बनाई जावेगी । इनके लिये 10 प्रतिशत आरक्षित पदों की 5 गुनी संख्या की सूचियां जाति वर्ग अनुसार पृथक बनाई जावेगी। भ0 पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नही होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नही होगें, बल्कि उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के गैर आरक्षित उम्मीदवारों जो भ0 पू0सैनिक नहीं हैं से पूरा किया जावेगा ।
6. महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत ''कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेंटल'' आरक्षण हैं अतः इनकी मैरिट सूची जाति वर्गबार बनाई जावेगी । इनके लिये 10 प्रतिशत आरक्षित पदों की 5 गुना संख्या की सूचियां जाति वर्ग अनुसार पृथक बनाई जावेगी। योग्य महिलाए उपलब्ध न होने से पद ''केरी फारवर्ड '' नही किये जाते हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नही होगी, उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से पूरा किया जावेगा ।
7. म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर जाति वर्ग अनुसार रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में रोल नम्बर के कम में पुलिस मुख्यालय के माध्यम से चयन समितियों को उपलब्ध कराई जावेगी । जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।
8. लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट कम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से उपर रहेगा ।
9. प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट पर पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त उपलब्ध रहेगा तथा इसके साथ ही द्वितीय चरण की तिथियों एवं केन्द्रों की जानकारी भी परिणाम के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी ।

उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का परिणाम मण्डल की वेबसाईट से स्वयं डाऊनलोड़ करना होगा एवं उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा । मण्डल की वेबसाईट से डाऊनलोड़ किये गये परिणाम प्रिंट को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय चरण के लिये निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा ।

1-16 f}rh; pj.k& iek.k i=k dh tkp] 'kkjhfjd ikoh.;rk VLV ¼&

द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश में समान्यतः 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी । इन केद्रों को आवश्यकतानुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है ।

1-16-1 iek.k i=k dh tkp की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समितियों के सीधे पर्यवक्षेण में की जावेगी। यह कार्यवाही प्रदेश में 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी। इन केद्रों को आवश्यकतानुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा :–

¼1½ जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,

¼2½ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,

¼3½ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,

¼4½ स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की तीन वर्ष की सेवा काल का प्रमाणपत्र,

¼5½ भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,

¼6½ पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,

¼7½ परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,

¼8½ परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड,

¼9½ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

¼10½ ''विकम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विकम पुरस्कार'' हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

¼11½ विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

¼12½ नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,

ukV¼&1- दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय–3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

2- ;fn mEehnokj ey iek.k i=k d ijh{k.k e v;kX; ik;k tkrk g vFkok vlQy gkrk g rk ml vxy pj.k e Hkkx yu dh ik=rk ugh gkxhA vkuykbu vkonu e Hkjh xbZ tkudkjh vlR; ik; tku dh ifjfLFkfr e mldh vH;fFkrk ogh lekIr djr g, mld fo:} oS/kkfud dk;okgh dh tk,xh Hky gh og fyf[kr ijh{kk e lQy jgk gkA ;fn mEehnokj mijkDr ey iek.k i=k d ijh{k.k e ;kX; ik;k tkrk g rFkk 'kkjhfjd

izoh.krk ijh{kk esa DokyhQkbZ dj lQy gksrk gS] rHkh mls mlds in dh esfjV esa vkus dh ik=rk gksxh A

1-16-2 'kkjhfjd izoh.krk VsLV %

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में केवल एक ईवेण्ट 800 मीटर दौड का रहेगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये कोई अंक नही दिये जायेगें यह केवल क्वालीफाईग होगी। इस 800 मीटर दौड में क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं :–

l-Ø-	in uke	800 ehVj nkSM+ esa lQy gksus gsrq le;&lhek
1	iq:"k&iz/kku vkj{kd ¼jsfM;ks½ rduhf'k;u	02 feuV 45 lsd.M
2	efgyk iz/kku vkj{kd ¼jsfM;ks½ rduhf'k;u	04 feuV 00 lsd.M
3	gksexkMZ iq:"k & iz/kku vkj{kd¼jsfM;ks½ rduhf'k;u	03 feuV 15 lsd.M
4	gksexkMZ efgyk& iz/kku vkj{kd ¼jsfM;ks½ rduhf'k;u	04 feuV 00 lsd.M
5	HkwriwoZ lSfud iq:"k iz/kku vkj{kd¼jsfM;ks½ rduhf'k;u	03 feuV 15 lsd.M

ukV%& शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारो को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

1-17 ijh{kk ifj.kke dh ?kks"k.kk &

1-17-1 चयन सूचीः अंतिम मेरिट सूची जारी करते समय आरक्षण नियम का यथावत पालन किया जावेगा, जिसमें (लिखित परीक्षा–कुल पूर्णाक 200) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी । सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / अन्य पिछ़ड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है। शेष उम्मीदवार में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक–पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी।

1-17-2 यह सूचियां बनाने के बाद महिलाओं एवं भ0ू पू0 सैनिकों के लिये ''कम्पार्टमेण्टवाइज हॉरीजेटंल आरक्षण'' को प्रभावी किया जाता है । हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ ''***1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173***) का अनुसरण किया जाता है ।

महिलाओं एंव भू0पू0 सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत हॉरीजेण्टल एवं कम्पार्टमेंटवाइज आरक्षण है, अतः इनकी मैरिट सूची जाति वर्गबार बनाई जावेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्ग वार ही होगी।

1-17-3 महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित पदों के अनुसार पृथक सूचियां बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण ''कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेंटल आरक्षण हैं'' और योग्य महिलाए उपलब्ध नहीं होने से पद ''केरी फारवर्ड '' नही किये जाने हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नही होगी उस पद को उसी जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से भरा जावेगा।

1-17-4 लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार निर्धारित की जावेगी, अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से उपर रहेगा ।

1-17-5 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित उम्मीदवारों की तैयार की गई सूची को मण्डल की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

1-18 bldkbl e; inLFkkiuk n'kkus okyh vfre p;u lph %&

1-18-1 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों की सूची उनके मेरिट कम में तैयार कर पुलिस मुख्यलाय की चयन समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का होगा।

1-18-2 चयन समिति द्वारा सूची के अनुमोदन उपरान्त म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों का नाम एवं परिणाम उनकी वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा। चयन सूची की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय भिजवाई जावेगी तथा नोटिस बोर्ड पर भी अबिलंब चस्पा की जावेगी ।

1-18-3 चयन समितियों को यह अधिकार होगा यदि किसी इकाई के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के विकल्प नही प्राप्त होते है, तो सफल उम्मीदवारों की सूची से किसी विशिष्ट इकाई का विकल्प नही देने वाले उम्मीदवारों की पदस्थापना कर सकेगी।

1-19 ;k=k fdjk;k %&

मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को द्वितीय चरण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग द्वारा दी जायेगी।

1-20 pfj= lR;kiu %&

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा । चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति अथवा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी । ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1-21 LokLF; ijh{k.k %&

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेंडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेंडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा ।

1-22 p;u lph ls fu;fDr &

सीधी भर्ती के लिये उपरोक्त बिन्दु 1.17 के अन्तर्गत बनाई गई चयन सूची से ही नियुक्ति की जावेगी । नियुक्ति आदेश चयन सूची में वरिष्ठता के कम में जारी किये जावेगे । नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत रिमार्क न होने और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से फिट होने पर ही उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी कर पुलिस लाईन अथवा सम्बन्धित कार्यालय में आमद देने का आदेश दिया जावेगा ।

1-22-1 नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

1-22-2 जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

1-22-3 निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया

जायेगा/ नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

1-22-4 प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र–शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

1-22-5 जो उम्मीदवार जिस ईकाई में नियुक्त किया जावेगा वहां उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य ईकाई में स्थानान्तरण का पात्र हो सकेगा।

1-22-6 चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के बाद पुलिस राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा।

1-23 lkekU; funs'k %& उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में किसी संशय अथवा विवाद की स्थिति में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थायी राजपत्र आदेश (G.O.P.) कमांक 137/2012 दिनांक 30/07/2012 में अंकित प्रावधान अंतिम रुप से मान्य होंगे। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन– पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यापम अथवा अन्य किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है । लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार को उसके मूल प्रमाण पत्रों की जांच में, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में, जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले स्वास्थ परीक्षण में तथा चरित्र सत्यापन में सफल एवं योग्य होना आवश्यक है । उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानो, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, साक्षात्कार, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूणतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

vfrfjDr iqfyl egkfuns'kd ¼p;u@Hkrh½
iqfyl eq[;ky; Hkksiky

******

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

egRoiw.kZ funsZ'k %&

2-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2-3 vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus dh O;oLFkk %&

(1) osclkbZV www.vyapam.nic.in vFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन की भर्ती हेतु अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को निर्धारित शुल्क अर्थात अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 700/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों) के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 350/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रू. 70/– क्योस्क शुल्क देय होगा।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-4 vkWuykbZu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkostksa dk fooj.k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(अ) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें।

(ब) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(स) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-5 ,d ls vf/kd vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus lca/kh funsZ'k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-6 vkWuykbZu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lca/kh funsZ'k%&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(ii) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kapokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-7 vkWuykbZu vkosnu Hkjus ds lca/k esa funsZ'k %

2-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 08.09.2014 से दिनांक 07.10.2014 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। vkosnd }kjk Hkjs tkus okys vkosnu i= esa jkT; ,oa ftys dk fooj.k ehu ds ek/;e ls izkIr gksxkA ftlls Hkfo"; esa vko';drkuqlkj jkT; ,oa ftys dh vko';d tkudkjh izkIr dh tk ldsA igpku i= ds ehu esa ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fox ykblsal] QksVks;qDr vadlwph rFkk iklikWVZ dk izko/kku j[kk x;k gS ;fn vkosnd }kjk vU; igpku i= p;u fd;k tkrk gS rks og nLrkost dkSu lk gS bldh tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; izLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2-7-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :– (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

bUVjusV ds ek/;e ls vkWuykbZu vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %

2-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन के पदो की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी fun'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

2-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2-7-2-4 ØfMV@MfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&
आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-2-5 bUVjusV cSfdax ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku %&
आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-3 ,e-ih- vkWuykbZu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkWeZ Hkjus dh fof/k %&
एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क

के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

ukV%& ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-8 fu/kkfjr frfFk e: tek fd, x, vkuykbu vkonu i= e: l:'kk/ku dh 0;oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2-8-1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2-9 vkuykbu vkonu&i= dk fujLrhdj.k %&

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-10 ijh{kk io'k&i= (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

i:o'k&i= iklr djus dh ifØ;k%&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-11 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :–

स0क्र0	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	जबलपुर
2.	भोपाल
3.	ग्वालियर
4.	इन्दौर

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो एवं परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

2-12 ijh{kk 'kYd %&

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रू. 700/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी (मध्यप्रदेश के मूल निवासी) के लिये रु. 350/– निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– अतिरिक्त देय होगा।

2-13 ijh{kk gky e: y: tku gr| vko';d lkexh %&

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2.14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator,Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.15 लिखित परीक्षा का विवरण :–

स.क्रं.	दिनांक	प्रश्न पत्र	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	16.11.2014 (रविवार)	प्रथम प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान)	02 घंटे	प्रातः 08:00 बजे से 10.15 बजे तक	100
2.	16.11.2014 (रविवार)	द्वितीय प्रश्न पत्र (तकनीकी)	02 घंटे	दोपहर 12:00 बजे से 02:15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

¼d½ परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

¼[k½ अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

¼x½ परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

¼?k½ परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

¼M-½ अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

¼p½ अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

¼N½ प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

¼t½ नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

¼>½ सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

¼´½ सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

¼V½ परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुॅचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपाजायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा । विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

¼B½ परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

¼M½ परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा प्रक्रिया में अथवा परीक्षा के डाटा में किसी भी स्तर पर छेडछाड या किसी भी व्यक्ति से मिलकर परीक्षा की प्रक्रियाओं का उल्लघन करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने का प्रयास परिलक्षित होने पर अथवा अभ्यर्थियों का वह कृत्य जिससे परीक्षा की अनुल्लघंनियता (Sanctity) प्रभावित होती हो, परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

¼r½ परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरणो में संलिप्तता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

2.17 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-18 =fVi.k i'u] mlds fujLrhdj.k ,o cny e fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4- कोई भी विकल्प सही न हो।
5- यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 05 एवं 06 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है । बिन्दु क्रमांक 2.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-20 ijh{kk ifj.kke dk idk'ku %&

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय–1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-21 vd lph %&

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी।

तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-22 e-i- 0;kolkf;d ijh{kk eMy dk dk;Z io'k ijh{kk dk lapkyu ,o mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gkxk %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-23 U;kf;d {k=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction)मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

———0———

v/;k; & 3

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन की परीक्षा के लिये लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होगें जिनमें से प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 निर्धारित होगा। । प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :–

(1) iFke i'u i= %& प्रथम प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक 100 होंगे । सभी प्रश्न म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की दसवीं कक्षा के स्तर के होंगे । प्रथम प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषयों पर आधारित प्रश्न शामिल होगें :

(अ) सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान – 40 अंक
(ब) बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि – 30 अंक
(स) विज्ञान एवं सरल अंक गणित – 30 अंक

(2) f}rh; i'u i= %& द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 अधिकतम अंक होंगे । पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा, जिसमें प्रथम भाग सभी उम्मीदवारों के अनिवार्य है तथा द्वितीय भाग उम्मीदवारों के ट्रेड अनुसार हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है :–

Time- Two Hours **Total Maximum Marks-100**

Part-I (For All Candidates) (Max. Marks-50)

1- Basic of D.C. theory
2- Basic of A. C. theory
3- Resisters, Capacitors and their series parallel combination
4- Transformer and their type and application
5- Measuring instrument like ANALOG AVO METER, CRO, DIGITAL MULTIMETER
6- Motor and Generator
7- Primary and Secondary Cell.

Part-II [Trade wise] **(Maximum Marks- 50)**

Cadidate is expacted to answer question relating to any one set of questions Trade wise

1) I.T. TRADE 1- Basic Communication Theory 2- Communication system 3- Other system 4- Generic skills 5- Digital electronics 6- IT system 7- IT application	**2) ELECTRICIAN TRADE** 1- Magnetism 2- D.C. machine 3- Earthing 4- Detail theory of Transformer 5- Detail theory of synchronous motor 6- Industrial wiring 7- Transistor **8-** A.C., D.C. power control mechanism
3) ELECTRONICS MECHANIC 1- Electromagnetic waves 2- Wave Propagation 3- Type of antenna 4- Theory of semiconductor 5- Type of Amplifier 6- Transmission line 7- Type of oscillator 8- Type of Diode	**4) RADIO T.V.- MECHANIC** 1- Electromagnetic waves 2- Wave Propagation 3- Type of antenna 4- Theory of semiconductor 5- Type of Amplifier 6- Transmission line 7- Type of oscillator **8-** Type of Diode
5) INSTRUMENT Mechanic 1- Application of magnets and electromagnets 2- P-N Junction Diode 3- Transistor 4- Display devices 5- system of units and basic measurement 6- Introduction of A.C. bridge and measurement of LC & R 7- Single phase motor 8- Galvanometer	

तकनीकी प्रश्न पत्र में बहु विकल्प वाले वस्तुनिठ प्रश्न होंगे । प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होगे । दोनो भागों को मिला कर कुल 100 प्रश्न होंगे । प्रत्येक प्रश्न 01 अंको का होगा । समस्त प्रश्न अनिवार्य होगे । कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।

v/;k;&4

iek.k&i=ka dk ik:i

ik:i&1

vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr ds mEehnokjksa ds fy;s LFkk;h tkfr iek.k i=

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :–

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

LFkkbZ iek.k i= uhps fy[kk ik:lk ds vuqlkj gksuk pkfg;s &

dk;ky;] vuqfoHkkxh; vfèkdkjh ¼iek.khdj.k½

अनुभाग...जिला.................................... ....मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक.......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

LFkk;h tkfr iek.k i=&fu;e 8 ¼1½

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर .... विकास खण्ड................. .... तहसील............................जिला..................................संभाग...जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr ds mEehnokjksa ds fy;s
vLFkk;h tkfr izek.k i=

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:–

1. संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार।

vLFkkbZ izek.k i= uhps fy[kk izk:lk ds vuqlkj gksuk pkfg;s &

¼vLFkk;h izek.k i=½ fu;e 8 ¼2½
dk;kZy;] vuqfoHkkxh; vf/kdkjh ¼izek.khdj.k½

अनुभाग..जिला..मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक.......................................

प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

tkfr izek.k i=

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....वि.ख. ....तहसील.......................................जिला... संभाग...जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचि चत जनजाति के रुप मं` विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक......................................पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये......................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर

(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

vU; fiNM+k oxZ ds 'kkldh; lsok esa fu;qfDr ds fy;s
izLrqr fd;s tkus okys tkfr izek.k i= dk izk:i
¼LFkk;h tkfr izek.k i=½ fu;e 8¼1½
dk;kZy;] vuqfoHkkxh; vf/kdkjh ¼izek.khdj.k½

अनुभाग...जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक...................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक..

tkfr izek.k i=

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का.... .... नाम ....निवास/ग्राम/नगर .... वि.ख..................तहसील..................जिला.. .... संभाग..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.. जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग.....................................में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..हैं।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

vU; fiNMk oxk d 'kkldh; lok e fu;fDr d fy;
iLrr fd; tku oky iek.k i= dk ik:i
¼vLFkk;h tkfr iek.k i=½ fu;e 8¼2½
dk;ky;] vuqfoHkkxh; vfèkdkjh ¼iek.khdj.k½

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..............................प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक..

tkfr iek.k i=

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम ....निवास/ग्राम/नगर ....वि.ख.. तहसील..जिला.................................. संभाग..............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो......................... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।
श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं। संबंधित राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

ukV ½ वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

ik:i&5

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

i'u&ifLrdk d i'uk@mRrjk d lc/k e vH;kosnu

¼ukV& ;g i= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;kZy; e miyC/k djkus ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

l0Ø0	i'u Øekd@ mRrj Øekd	=fV dk fooj.k	lk{; d :i e iLrr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर...

दिनांक .... आवेदक का नाम...

ik : i&6

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

vkn'k mRrjks ij vkifRr grq vH;kosnu

¼ukV& ;g i=i= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उतर त्रुटिपूर्ण है :–

l-Ø-	mRrj Øekd	vkn'k dqth e inf'kr mRrj	vH;kFkh dk vuqlkj mRrj	mRrj d leFku e iLrr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर...................

दिनांक ....

lgefr iek.k&i=

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–14 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय–1 व 2 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण–पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :..
पदनाम :..
सील :..

******